



दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
South East Central Railway

मुख्यालय, कार्मिक विभाग, प्रथम तल, महाप्रबंधक कार्यालय, बिलासपुर (छ. ग.)
HEAD QUARTER, PERSONNEL DEPARTMENT, 1st FLOOR, GM's OFFICE, BILASPUR (C.G.) 495004

अधिसूचना संख्या द.पू.म.रे/का.मु /क/379/पार्ट-V/2025/132, दिनांक 24.07.2025

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मुख्यालय कार्यालय परिसर में स्थित केन्द्रीय कर्मचारी हित निधि समिति द्वारा संचालित कैटीन संचालन हेतु निविदा फॉर्म आमंत्रित किया जाता है।

1. निविदा प्रपत्र दिनांक 18.08.2025 से 22.08.2025 तक कार्य दिवस में कार्यालयीन समय 11.00 बजे से 16.00 बजे तक मुख्य कार्यालय अधीक्षक, कल्याण अनुभाग, प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी कार्यालय, प्रथम तल से प्राप्त किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र एवं शर्तें द.पू.म.रेलवे के वेबसाइट <http://secr.indianrailways.gov.in> पर भी उपलब्ध रहेगा।
(Home page-Dept/Div of SECR-Head Quarter-Personnel-activities & achievements)
2. निविदा प्रपत्र दिनांक 20.08.2025 से 22.08.2025 तक कार्य दिवस में कार्यालयीन समय 11.00 बजे से 16.00 बजे तक मुख्य कार्यालय अधीक्षक, कल्याण अनुभाग, प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी कार्यालय, प्रथम तल में जमा किया जा सकता है।
3. दिनांक 22.08.2025 (16.00 बजे) के बाद प्राप्त निविदा प्रपत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. प्राप्त निविदा प्रपत्र दिनांक 22.08.2025 (17:00 बजे) उपरवर्णित कार्यालय में खोले जाएंगे।

सहायक कार्मिक अधिकारी (मु)
कृते प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी
द पू म रेल्वे / बिलासपुर

Handwritten signature and date:
24/07/25



दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
South East Central Railway

मुख्यालय, कार्मिक विभाग, प्रथम तल, महाप्रबंधक कार्यालय, बिलासपुर (छ. ग.)
HEAD QUARTER, PERSONNEL DEPARTMENT, 1st FLOOR, GM's OFFICE, BILASPUR (C.G.) 495004

निविदा अनुसूची एवं विशेष शर्तें

कार्य का नाम :- दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मुख्यालय कार्यालय परिसर में स्थित स्टाफ कैंटीन (केन्द्रीय कर्मचारी हित निधि समिति द्वारा संचालित) संचालन के लिए निविदा ।

अधिसूचना संख्या द.पू.म.रे/का.मु /क/379/पार्ट-V/2025/132 , दिनांक 24.07.2025

अमानती राशि (अर्नेस्ट मनी):-10,000/- (दस हजार मात्र)

क्र मां क	कार्य का विवरण	मानक दर	गुणक दर की विधि	प्रस्तावित दर अंको एवं शब्दों में स्पष्ट रूप से अंकित की जावे
1	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मुख्यालय कार्यालय, बिलासपुर परिसर में स्थित स्टाफ कैंटीन संचालित करना	मानक दर हेतु विभागीय सूची संलग्न है ।	संलग्न किये गए मानक दर सूची के सापेक्ष दर ज्यादा या कम	

नोट :-

1. निविदाकर्ता को चाहिए कि केवल इस शीट के निर्धारित स्थान पर ही प्रत्येक वस्तु के लिए एकल दर का उल्लेख करें । एकल दर पूर्णांक में होना चाहिए । 50 (पचास) पैसे तथा ऊपर के गुणक को अगले पूर्ण रूपये में दर्शाया जाए तथा इससे नीचे के गुणक को पिछले पूर्ण रूपये में दर्शाया जाए ।
2. निविदा के लिए दरों का उल्लेख अंको तथा शब्दों दोनों में लिखा जाए । किसी विसंगति के मामले में शब्दों में उल्लेखित दर को प्रस्तावित दर के रूप में स्वीकार किया जायेगा ।
3. प्रस्तावित दर में संशोधन वर्जित है इसमें किसी प्रकार की काट-छाँट न की जावे , अपरिहार्य परिस्थिति में की गई त्रुटि संशोधित रूप में पुनः दर्शायी जा सकती है, जिसे हस्ताक्षर कर सत्यापन किया जाना अनिवार्य होगा ।

15/07/25
24/07/25

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर

फोटो

आवेदन पत्र का प्रारूप

क्र.	विषय वस्तु	विवरण
1	नाम	
2	पिता का नाम	
3	पत्र व्यवहार का पता	
4	वर्तमान में व्यवसाय	
5	शैक्षणिक योग्यता (प्रमाण पत्र की स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति संलग्न करें)	
6	कैटीन संचालन हेतु कार्य अनुभव का विवरण (प्रमाण पत्र की स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति संलग्न करें)	
7	यदि पूर्व में रेलवे में कार्य किया हो तो उसका विवरण दें कि कहाँ पर कार्य किया है । (प्रमाण पत्र की स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति संलग्न करें)	
8	निविदा पत्र के साथ अमानती राशि)Earnest Money (रुपए 10,000/-मात्र (दस हजार) धनादेश)Demand Draftके रुप में (उसका विवरण दे) जैसे जारी कर्ता बैंक का नाम ,दिनांक एवं क्रमांक	
9	कोई आपराधिक प्रकरण लंबित / विचारधीन तो नहीं, यदि है तो उसका विवरण दें	
10	पैन नंबर(छाया प्रति संलग्न करें)	
11	मोबाईल नंबर	
12	आधार नंबर (स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति संलग्न करें)	
13	खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम -2006 के तहत पंजीकरण का विवरण : जारीकर्ता एवं तारीख : वैधता की तारीख : (प्रमाण पत्र की स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति संलग्न करें)	
	मे समिति द्वारा सूचीबद्ध मदों की मूल्य सूची / प्रस्तावित दर संलग्न कर रहा हूँ ।	

दिनांक:

स्थान :

गवाह के हस्ताक्षर

नाम व पता

मोबाईल नंबर

आधार नंबर

आवेदक के हस्ताक्षर :

नाम :

मोबाईल नंबर:

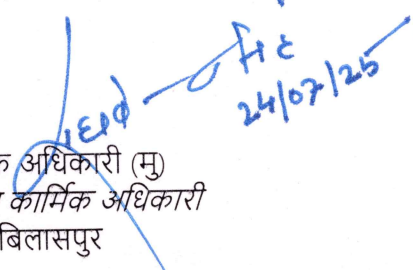
24/07

कैंटीन संचालन हेतु नियमावली/शर्तें

1. कैंटीन का संचालन लगभग 1100 (ग्यारह सौ) कर्मचारियों / आगंतुकों के लिए होगा।
2. कैंटीन हमेशा साफ सुथरी होनी चाहिए और वेटर साफ-सुथरे परिधान में होना चाहिए एवं कैंटीन के फ्लोर किचन, वॉशिंग एरिया, खिड़की, दरवाजे, वॉटर कूलर तथा समस्त फर्निचर/ सामान एवं प्रसाधन सभी स्थान साफ-सुथरे स्थिति में होनी चाहिये।
3. ठेकेदार को समिति की तरफ से केवल निर्मित सुविधाएं जैसे फर्नीचर, रसोई के बड़े बर्तन, फ्रीज, हॉट-केस, ग्राइंडर / मिक्सर, ट्राली आदि प्रदान की जाएगी।
4. बिजली का बिल, पानी का बिल एवं कैंटीन की लाइसेंस फीस रेल नियमों के तहत देय होगा। ठेकेदार द्वारा पानी व बिजली के बिल का भुगतान प्रशासन द्वारा निर्धारित समय के अंदर करना होगा।
5. ठेकेदार द्वारा कैंटीन संचालन का कार्यकाल कार्यान्वयन की तिथि से दो साल के लिए होगा। ठेका कार्यकाल समाप्त होने पर प्रशासन द्वारा अगर नया ठेका प्रक्रिया में समय / विलंब होता है, ऐसी स्थिति में कैंटीन संचालन हेतु प्रशासन का निर्णय आपको सूचित किया जायेगा।
6. कैंटीन संचालन में खाने पीने की दरें एवं मात्रा समिति द्वारा निर्धारित हैं। कैंटीन में बेचे जाने वाली हर खाद्य सामग्री उत्कृष्ट गुणवत्ता की जांच (कच्चे माल से लेकर कोई भी खाद्य सामग्री तक) संचालन समिति / मुख्य कार्मिक अधिकारी (औ.सं.)/ मुख्य कार्मिक अधिकारी (प्रशासन) द्वारा प्रस्तावित करेगी। किसी भी प्रकार की अनियमितता / अनुशासनहीनता अगर समिति द्वारा उजागर की जाती है, तो ठेकेदार के द्वारा तत्काल सुधार किया जाना अपेक्षित होगा अन्यथा समिति द्वारा यथोचित पेनाल्टी वसूल की जायेगी। ठेकेदार द्वारा किसी भी अनुदेश की अवहेलना पर, विशेषतः खाद्य पदार्थों की उत्कृष्टता / गुणवत्ता पर ध्यान न देने पर, समिति द्वारा किसी भी समय ठेका निरस्त करने का अधिकार होगा एवं धरोहर राशि जब्त की जा सकती है।
7. कैंटीन में बनने वाली खाद्य सामग्री का मीनू समिति द्वारा निर्धारित किया गया है। खाद्य सामग्री ज्यादा मसालेदार, मिर्च युक्त नहीं होना चाहिए। वेज करी, ड्राई पीनट्स, गुलाबी चना, सोयाबीन बड़ी, न्यूटीला का उपयोग कम से कम होना चाहिए। मिर्च, मसाला, नमक, तेल इत्यादि उच्च गुणवत्ता का उपयोग में लाया जाए। ग्राहकों के लिए अलग से टेबल पर आचार, हरी मिर्च, नमक इत्यादि रखना होगा।
8. ताजा भोजन हर दिन उपलब्ध होना चाहिए। बासी खाना का उपयोग निषेध है।
9. कैंटीन संचालन हेतु प्राइवेट ठेकेदार को कम से कम दो वर्षों का अनुभव अवश्य होना चाहिए। प्रमाण पत्र संलग्न करें।
10. निविदा पत्र के साथ अमानती राशि (Earnest Money) रूपए 10,000/- (दस हजार) मात्र धनादेश (Demand Draft) के रूप में सचिव, केन्द्रीय कर्मचारी हित निधि, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर के नाम देय होगा। जिसे निरस्त / अमान्य आवेदकों को निविदा प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात वापस किया जायेगा।
11. ठेकेदार को कैंटीन की साफ-सफाई, बैठने की व्यवस्था, खाने-पीने की वस्तुओं की मात्रा व गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना होगा।
12. चयन किये गए ठेकेदार को कैंटीन संचालन हेतु धरोहर राशि (सुरक्षा राशि) रूपये 50,000/- (रूपये पचास हजार) मात्र सचिव, केन्द्रीय कर्मचारी हित निधि, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के बैंक खाते में जमा करानी होगी। जिसका बैंक खाता क्रमांक 1698997320 बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा रेलवे एरिया, IFSC कोड CBINO283932, MICR कोड 495016004 हैं, जिसकी मूल पावती प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी कार्यालय के कल्याण अनुभाग में जमा करना होगा।
13. किसी प्रावधान के अनुपालन पूर्ण न कर पाने की स्थिति में ठेके के करार को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्रीय कर्मचारी हित निधि समिति के अध्यक्ष एवं प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी / मुख्य कार्मिक अधिकारी (औ.सं.)/ मुख्य कार्मिक अधिकारी (प्रशासन) अथवा उप मुख्य कार्मिक अधिकारी (मु.) को प्रत्येक अवसर पर रू. 1000/- (एक हजार रू.) तक का अर्थदंड ठेकेदार पर अधिरोपित करने / लगाने का अधिकार होगा और इस प्रकार का अर्थदंड जब कभी भी ठेकेदार को लगाया जायेगा तो उसे उस राशि का भुगतान करना होगा।

Handwritten signature and date:
24/07

14. कैटीन में मद्यपान व धूम्रपान वर्जित होगा। यदि कोई व्यक्ति कैटीन में मादक पदार्थों का सेवन करता हुआ पाया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी और यदि ऐसा पाया जाता है तो ठेकेदार के ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा जो कि कम से कम रूपये 3000/- (रूपये तीन हजार) होगी तथा ठेका तुरंत प्रभाव से निरस्त भी किया जा सकता है।
15. कार्यालय के कार्य दिवसों में कैटीन समयानुसार प्रातः 08:00 बजे से सायं 19:00 बजे तक खुला रहेगा। समिति आवश्यकतानुसार समय में परिवर्तन कर सकती है। पूर्व सूचना देने पर आवश्यकतानुसार अवकाश के दिन, शनिवार, रविवार को भी कैटीन खोलना होगा।
16. कैटीन में लगे हुए सभी सामानों की मरम्मत एवं देख-रेख ठेकेदार को करना होगा। रेलवे द्वारा प्रदत्त सामग्री की मरम्मत की जिम्मेदारी भी ठेकेदार की होगी।
17. कैटीन में उपलब्ध रेलवे संपत्ति की प्राप्ति के उपरांत समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी तथा संबंधित रेलवे संपत्ति को कोई नुकसान या चोरी होने पर उसकी कीमत ठेकेदार से वसूल की जाएगी।
18. ठेकेदार को कर्मचारियों / आगंतुकों के साथ सभ्य व्यवहार बनाए रखना अपेक्षित है।
19. ठेकेदार को निष्पक्ष भाव से कैटीन चलाना होगा और संचालन समिति के द्वारा निर्धारित बिन्दुओं के आधार पर ही कैटीन का संचालन करना होगा।
20. कैटीन से निकला कचरा को सही तरीके से निष्पादन की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
21. यदि कैटीन के खाने-पीने की व्यवस्था में किसी प्रकार की विषैली चीज या नशे वाली चीजें पाई जाती है तो ठेकेदार जिम्मेदार होगा एवं ठेकेदार के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की जाएगी एवं ठेका निरस्त भी किया जा सकता है।
22. कैटीन में कार्यरत कर्मचारी किसी भी संक्रामक बीमारी से ग्रस्त न हो, इसकी डॉक्टर द्वारा डॉक्टरी जांच करवाने के पश्चात जांच रिपोर्ट हर वर्ष ठेकेदार द्वारा कार्यालय में जमा करानी होगी।
23. कैटीन में कम से कम 02 (दो) कुक व 06 (छः) वेंटर हर समय होना जरूरी है। कैटीन ठेकेदार के सभी कर्मचारी वयस्क होने चाहिए तथा उनका चरित्र प्रमाणित होना चाहिए।
24. कैटीन में कार्यरत ठेकेदार के कर्मचारियों को यूनिफार्म, सर्विस ग्लोव्स, सिर पर केप एवं बैज पहनना जरूरी है। कर्मचारियों को पहनने हेतु यूनिफार्म ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराना होगा।
25. खाद्य वस्तु विक्रय अधिनियम के तहत यदि स्थानीय निकाय / राज्य शासन / रेल प्रशासन द्वारा अधोघोषित नियमों में आवश्यक अनुमति / लाइसेंस ठेकेदार द्वारा स्वयं के खर्च पर प्राप्त करना होगा।
26. ठेका निरस्त होने की स्थिति में उपलब्ध कराए गए समस्त सामानों को यथावत स्थिति में समिति को वापस करने पर एवं बकाया बिलों का भुगतान करने के उपरांत ही धरोहर राशि वापस की जा सकेगी।
27. स्टाफ कैटीन में काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन शासन के नियमानुसार ठेकेदार द्वारा भुगतान करना होगा। किसी भी प्रकार की पेनाल्टी / बकाया राशि का वहन ठेकेदार द्वारा किया जायेगा। जिसके लिये वह स्वयं उत्तरदायी होगा। भुगतान नहीं करने की स्थिति में इसकी भरपाई ठेकेदार द्वारा जमा की गई सुरक्षा निधि से भी की जा सकती है।
28. प्रातः 10:00 बजे एवं दोपहर 15:00 बजे चाय एवं नमकीन / बिस्किट विक्रय हेतु कार्यालय परिसर में कैटीन कर्मचारी द्वारा प्रतिदिन रेल कर्मचारियों / अधिकारियों को निर्धारित भुगतान पर प्रदान की जायेगी। इसके लिए ठेकेदार को कुछ निश्चित जगह मुहैया कराई जायेगी या पुश ट्रॉली प्रदान की जायेगी जिससे वह चाय व नमकीन का विक्रय / आपूर्ति कर सकें।
29. विशेष अवसर पर छुट्टियों के दिन, जैसे- 15 अगस्त, 26 जनवरी, कार्यालयीन सभा / तृतीय तल स्थित सभा कक्ष में, रेल सप्ताह अवार्ड एवं प्रशासन के द्वारा घोषित किये गये अवकाश के दिन पूर्व सूचना देने पर कैटीन को खुला रखना होगा तथा खाद्य सामग्री भी सभास्थल/कार्यस्थल पर उपलब्ध कराना होगा।
30. पर्यावरण एवं हेल्थ की दृष्टि से कैटीन में प्लास्टिक डिस्पोजल का उपयोग वर्जित होगा।
31. ठेकेदार को 100 /- के नॉन जुड़ीशियल पेपर पर नियमों / शर्तों की सहमति बाबत इकरारनामा देना होगा।


 सहायक कार्मिक अधिकारी (मु)
 कृते प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी
 द पू म रेल्वे / बिलासपुर

मूल्य सूची				
क्रमांक	सामाग्री	खाद्य सामाग्री का अनुपात	अनुमानित मूल्य सूची समस्त कर सहित	ठेकेदार द्वारा प्रस्तावित दर समस्त कर सहित
1	थाली (एक दाम)		45 .00	
i	चावल (सुपर फ़ाइन रॉ चावल)	100 gms		
ii	रोटी /पराठा	4 piece (100 gms)		
iii	दाल (अरहर/मूंग)	100 gms		
iv	सब्जी दो प्रकार (एक फ़्राइड सब्जी)	50 gms Each		
v	अचार	1 piece (15 gms)		
vi	सलाद	50 gms		
vii	पापड़	01 नग		
2	अंडा करी	01 piece	15.00	
3	मसाला दोसा (चटनी एवं सांबर के साथ)	01 No	25.00	
4	सदा दोसा (चटनी एवं सांबर)	01No	20.00	
5	मसाला उपमा (चटनी) / पोहा (चना)	150 gms	20.00	
6	इडली (03 Nos)	01No (75 gms)/ 01 plate (03 Nos)	20.00	
7	सांबर बड़ा (2 Nos)/ दही बड़ा (02 Nos)	100 gms (Wt. of Vada)	20.00	
8	मुंगोड़ों/पकोड़ा	100 gms	20.00	
9	पूड़ी सब्जी (05Nos -120 gms) / पराठा सब्जी (02 Nos-100 gms)		25.00	
10	मिक्चर/सलोनी	100 gms	20.00	
11	कटलेट/समोसा/आलूगुंडा	02 pieces (50 gms each)	20.00	
12	ऑमलेट	Single egg omlet (100gms)	20.00	
13	बालू शाही(एक नग)	100 gms	10.00	
14	लड्डू (एक नग)	50 gms	10.00	
15	गुलाब जामुन/रसगुल्ला/काला जामुन (एक नग)	30gms	10.00	
16	चाय	75 ml	10.00	
17	उड़द बड़ा चटनी के साथ	Two piece (100 gms)	20.00	
18	कॉफी	75 ml	15.00	
19	लस्सी,दही,छाछ (ब्राण्डेड सांची मदर डेरी इत्यादि) कोल्ड ड्रिंक , बिस्किट एवं अन्य खाद्य सामाग्री	प्रिंट मूल्य के आधार पर		